

J/404582/2023

संख्या- 10 /2023/001-1600-9-2-2023कम्प्यूटर सं0- 1748990

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नगरीय निकाय निदेशालय,  
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2023

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद, गौराबरहज, जनपद-देवरिया को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/302/2/न0पा0परि0/यू0सी0/2023-24, दिनांक 20.09.2023 एवं जिलाधिकारी, देवरिया के पत्र सं0-531/एल0 सी0/ 2023, दिनांक 12.09.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विस्तारित नगर पालिका परिषद, गौराबरहज, जनपद-देवरिया को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ्स, समिति की निरीक्षण आख्या एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये द्वितीय किश्त अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद, गौराबरहज, जनपद-देवरिया को शासनादेश सं0-158/2022/4349/002-E-1672197-84ज-22, दिनांक 16.12.2022 द्वारा प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-037 के लेखाशीर्षक-2217-80-192-03-00 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 6420.36,918 लाख (रू0 चौसठ करोड़ बीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ अठारह मात्र) में से विस्तारित नगर पालिका परिषद, गौराबरहज, जनपद-देवरिया को जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा कार्य पूर्ण कराने हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टिगत तालिका में उल्लिखित 03 कार्यों की अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 17,03,000.00 (रू0 सत्रह लाख तीन हजार रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यका नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5
1	दसरथ गुप्ता के मकान से रामप्यारे पाल के मकान होते हुए काली माता मंदिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। पचौहा	6,29,000.00	3,14,500.00	3,14,500.00
2	मोहाव में काली माता मंदिर के पीछे पश्चिम तरफ सरकारी भूमि पर बाउंड्रीवाल एवम पार्क का निर्माण कार्य।	21,00,000.00	10,50,000.00	10,50,000.00
3	प्राथमिक विद्यालय रगरगंज में टाइल्स, पेंटिंग व मरम्मत एवम 2 सीटर शौचालय एवम 2 सीटर मूत्रालय निर्माण कार्य। रगरगंज	6,77,000.00	3,38,500.00	3,38,500.00
	<b>योग</b>	<b>34,06,000.00</b>	<b>17,03,000.00</b>	<b>17,03,000.00</b>

(रू0 सत्रह लाख तीन हजार रूपये मात्र)

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध**

- स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/ दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/ 125/2021, दिनांक 02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

I/404582/2023

3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
6. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
8. प्रश्रुत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
10. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक द्वारा कार्यदायी संस्था/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
15. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रुत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
16. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा, तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
17. शासनादेश दिनांक-14.11.2022 में स्वीकृत 03 कार्यों में से 01 कार्य जो क्रमांक-2 पर अंकित है। जिलाधिकारी, देवरिया/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गौराबरहज, जनपद-देवरिया उक्त कार्य हेतु निर्गत धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
18. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं०-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।
19. स्वीकृत की जा रही धनराशि के लिये हेतु वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,03,000 ( रुपये सत्रह लाख तीन हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920300 उच्चिकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,  
Signed by संजय कुमार  
तिवारी  
Date: 10-10-2023 18:29:38  
Reason: Approved

4/404582/2023

संख्या- 10 /2023/001-1600-9-2-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
- (7) जिलाधिकारी, देवरिया।
- (8) अधिशासी अधिकारी, विस्तारित नगर पालिका परिषद, गौराबरहज, जनपद-देवरिया।
- (9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(संजय कुमार तिवारी)  
अनु सचिव।